किलोमीटर और राजस्थान की 202 किलोमीटर सीमा के साथ साथ बाढ़ लगा दी गई है । इसके अतिरिक्त, पंजाब में 392 किलोमीटर और राजस्थान में 237 किलोमीटर भाग में फ्लड लाईट लगा दी गई है । पंजाब और राजस्थान के शेष संवेदनशील भागों में फ्लड लाईट और बाढ़ लगाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

काश्मीर से पलायन करने वाले व्यक्ति

255. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर से अब तक कितने लोग पलायन करके देश के विभिन्न भागों में सरकार द्वारा स्थापित किए गए शिविरों में रह रहे हैं; और

(ख) सरकार उनको क्या क्या सुविधायें उपलब्ध करा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम०अँकब) : (क) और (ख) कश्मीर घाटी से अल्पसंख्यक समुदाय के 150,000 से अधिक व्यक्ति अधिकांशत: जम्मू और दिल्ली में आए हैं। कुछ परिवार अन्य राज्यों में भी चले गए हैं। जम्मू में 40,000 परिवार प्रवासियों के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जब कि दिल्ली में 18,000 से अधिक परिवार पंजीकृत हुए हैं।

जम्मू में लगभग 6,000 परिवारों को टेंटों और निर्मित मकानों में रखा गया है। अन्य परिवारों ने आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं की है । जम्मू में पात्र परिवारों को, चार या चार से अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को अधिकतम 1000 रु० की मासिक नकद राहत और प्रति व्यक्ति को एक महीने में 9 किलो ग्राम चावल, 2 किलोग्राम आटा और प्रत्येक परिवार को 1 किलो ग्राम चीनी दी जाती है । टेन्टों में, चारपाई, टेबल फैन और ग्राउन्ड सीट भी दी जाती है।

दिल्ली में, लगभग 1500 व्यक्ति शिविरों में रह रहे हैं, जबकि अन्य ने आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं की है शिविरों में रहने वालों को, चार या चार से अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को अधिकतम 500 रु० की नगद सहायता मासिक आधार पर दी जाती है और 500 रु० की कीमत का मासिक राशन दिया जाता है । उन्हें एक समय खाना बनाने के लिए प्रयोग में आने वाले बर्तन और बिस्तर भी दिया गया ।

शिविरों से बाहर रहने वाले पात्र परिवारों को चार या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को 1000 रु० की अधिकतम मासिक नकद सहायता दी जाती है ।

देश में श्रीलंका के शरणार्थियों की संख्या

256. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्रीलंका मूल के कितने निवासी तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में रह रहे हैं ;

(ख) श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए चलाए जा रहे शिविरों की संख्या कितनी है ;

(ग) अब तक श्रीलंका मूल के कितने निवासी अपने देश वापिस जा चुके हैं ; और

(घ) इन लोगों के शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० अँकब) : (क) इस समय तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में लगभग 2,06,909 श्रीलंका के शरणार्थी रह रहे हैं ।

(ख) इन शरणार्थियों में से, इस समय 1,08,960 शरणार्थियों, 189 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं (188 शरणार्थी शिविर तमिलनाडु में और एक शिविर मलकान गिरि, जिला कोरापुट, उड़ीसा में)।

(ग) हाल ही में भेजे गए जहाजी बेड़ों में (20 जनवरी, 1992 से) अभी तक सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत 4,049 शरणार्थी श्रीलंका वापस गए हैं; और

(घ) तमिलनाडु सरकार को यह निदेश दिए गए हैं कि केवल उन्हीं शरणार्थियों को श्रीलंका भेजा जाए जो श्रीलंका लौटने के इच्छुक हों। श्रीलंका के प्राधिकारियों की सहमति मिलने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को इस आशय के आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं कि केवल उन्हीं क्षेत्रों के शरणार्थियों को भेजा जाय, जहां शांति स्थापित हो गई है तथा जो श्रीलंका के प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन हैं। तदनुसार, शरणार्थियों (श्रीलंका सरकार के कर्मचारी और ट्रींको माली और मन्नार द्वीप समूह के रहने वाले शरणार्थी (को अब तक छः बेचों में वापस भेजा गया है)।

दिल्ली के लिए राज्य का दर्जा

257. **श्री राघवजी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने वाले विधान के अधिनियम के पश्चात् दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए अब तक और आगे क्या कदम उठाए गए है; और

(ख) दिल्ली विधान सभा के चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन, अधिनियम, 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधान सभा की व्यवस्था है और इस प्रकार की विधान सभा की सीटों को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव कराके भरा जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण से संबंधित उपबंध 1-2-1992 से लागू किए गए हैं। चुनाव आयोग से निर्वाचित क्षेत्रों का सीमांकन करने का अनुरोध किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमानिर्धारण का कार्य पूरा होने के बाद विधान सभा के लिए चुनाव कराए जायेंगे।

उग्रवाद, आतंकवाद आदि में सम्मिलित व्यक्ति

258. **श्री राघवजी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी इत्यादि गतिविधियों में अनुमानतः कितने व्यक्तियों के सम्मिलित होने की आशंका है; और

(ख) इन गतिविधियों से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या सहायता दी जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने और ठोस उपाय करने का कार्य राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवाद-विरोधी अभियानों को समन्वित करने और आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में लाभप्रद सूचना को राज्यों के बीच सम्प्रेषित करने के कार्य में सुधार करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में जब कभी अपेक्षित होता है, राज्य सरकारों को सभी सम्भव सहायता दी जाती है।